फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री चन्दनसिंह** विपक्षी :– **उंकारसिंह**

किस्म मुकदमा :– 136 एलआरएक्ट पत्रावली संख्या :– **116/22 वाद**

जीसीएमएस नम्बर :– **2022/442**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 03.06.2025 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान एवं राजपैरोकार उपस्थित। विपक्षी संख्या 2, 3, 5 से 7, 11 के समन पत्रावली में संलग्न है। इनको निरन्तर आवाजे दिलवाई गई। अनुपस्थित है। अतः प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5 से 7, 11 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तहसीलदार घासा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नकल जमाबंदी सम्वत् 2065–68 में खाता संख्या 100 किता 16 रकबा 16–05 बीघा भंवरसिंह, चन्दनसिंह पिता केशरसिंह जाति राजूपत दर्ज रिकॉर्ड था। जो रोटेशन जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 में खाता संख्या 106 किता 16 रकबा 16–05 बीघा में भंवरसिंह, चन्दनसिंह पिता केशरसिंह हिस्सा 1/4, लालसिंह, दीपसिंह पिता शेरसिंह, उंकारसिंह, मांगुकुंवर, उगमकुंवर, जसकुंवर, रतनकुंवर पिता प्रेमसिंह, चन्दनकुंवर पत्नि प्रेमसिंह हिस्सा 3/4 जाति राजपूत दर्ज हो गया। जमाबन्दी सवंत 2069–72 में खाता संख्या 106 में भंवरसिंह, चन्दनसिंह पिता केशरसिंह जाति राजपूत होना चाहिए था। अतः तत्समय जमाबन्दी रोटेशन के समय बाद भंवरसिंह की विरासत एवं वारिस सायर कुंवर, कैलाश कुंवर, लाडकुंवर, मीरा कुंवर, श्याम कुंवर, सुशील कुंवर पिता भंवरसिंह का हकत्याग होने से वर्तमान जमाबन्दी में चन्दनसिंह पुत्र केशरसिंह हिस्सा 1/2 टमाकुंवर पुत्री भंवरसिंह हिस्सा 1/20, नाहरसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 1/5, सोहनसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 1/5, राजकुंवर पत्नि भंवरसिंह हिस्सा 1/20 जाति राजपूत किया जाना उचित है। अधिवक्ता उभय पक्षकारान एवं राजपैरोकार की अंतिम बहस प्रार्थना पर सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम ढाणा पटवार हल्का नूरडा तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2065–68 के खाता संख्या 100 पर दर्ज आराजी नम्बर 1861, 2146, 2157, 2158, 2165, 2175, 2182, 2183, 2184, 2190, 2191, 2193, 2568/1859, 2572/2192, 2579/2207, 2581/2129 किता 16 कुल रकबा 16 बीघा 5 बिस्वा भूमि भंवरसिंह, चंदनसिंह पिता केशरसिंह राजपुत सा.देह हि.ब.सा. ढाणा के नाम दर्ज थी। रोटेशन की नकल जमाबंदी संवत 2069–2072 के खाता संख्या 106 पर उक्त आराजीयात दर्ज की गई। जिसमें भंवरसिंह, चंदनसिंह पिता केसरसिंह 1/4, हि.ब., विपक्षीगण लालसिंह, दीपसिंह पिता शेरसिंह, उंकारसिंह, मांगुकुंवर, उगमकुंवर, जसकुंवर, रतनकुंवर, पिता प्रेमसिंह, [illegible]कुंवर बेवा प्रेमसिंह के नाम भी दर्ज कर दी गई। उसके पश्चात निरन्तर [illegible] के नामान्तरकरण पारित कर दिए गए। न्यायालय की विनम्र अभि[illegible] है कि वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:01 IST
Reason: SelfAttested

के नाम दर्ज नही थी फिर राजस्व कर्मचारियो द्वारा रोटेशन की जमाबंदी बनाते समय उक्त भूमि में विपक्षीगण का नाम दर्ज कर दिया गया जो कि न्यायोचित नही है। इसे तहसीलदार घासा द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि उक्त वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण के नाम दर्ज नही थी परन्तु रोटेशन की जमाबंदी में सेहवन से विपक्षीगण के नाम दर्ज हो गये। तहसीलदार द्वारा उक्त भूमि के संबंध में पारित किए गए नामान्तरकरण के पश्चात सभी खातेदारो के हिस्से भी प्रस्तावित किए गए है। अतः दस्तावेज के अवलोकन एवं तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार उक्त त्रूटि को सुधारा जाकर तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट में प्रस्तावित हिस्से अनुसार दर्ज किया जाना आवश्यक है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: <u>आदेश</u> :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते है कि ग्राम ढाणा पटवार हल्का नूरडा तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 73 पर दर्ज आराजी नम्बर 1861, 2146, 2157, 2158, 2165, 2175, 2182, 2183, 2184, 2190, 2191, 2193, 2568/1859, 2572/2192, 2579/2207, 2581/2129 किता 16 कुल रकबा 2.6304 हैक्टेयर भूमि में वर्तमान खातेदारो के बजाय रद्दोबदल करते हुए तहसीलदार घासा द्वारा प्रस्तावित रिपोर्ट अनुसार चन्दनसिंह पुत्र केशरसिंह हिस्सा 1/2, टमाकुंवर पुत्री भंवरसिंह हिस्सा 1/20, नाहरसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 1/5, सोहनसिंह पुत्र भंवरसिंह हिस्सा 1/5, राजकुंवर पत्नी भंवरसिंह हिस्सा 1/20 जाति राजपूत दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:01 IST
Reason: SelfAttested